

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, झुंगरपुर

मिसल नं० 689  
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक-27-06-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री रुपा पि० अमरा बीम

जति बीम उम्र न० देवली तहसील झुंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदायत पाहासाक दिनांक 27-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0र0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा देवली पंचायत समिति देवली में स्थित खाता संख्या 97 पर आराजी नं० 97

कुल बीघा 8 बिस्वा किता 1 योग रकबा 8 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीना (हेंडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाईं झगडा करते है। इत पजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपार्थी पप्पू क० पिकल न० देवली ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम देवली के खसरा नं० 98 रकबा बीघा 4 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 4 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत् 2012-15 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार कास्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा देवली में स्थित खाता संख्या 97 पर आराजी नं० 97 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 8 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा देवली में स्थित खाता संख्या 97 पर आराजी नं० 97 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 8 बिस्वा विवादप्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, झुंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक गुजाली के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, झुंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 200/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फौसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
झुंगरपुर